3/यो0-32/2018 33

**बिहार सरकार**

**समाज कल्याण विभाग**

पत्र संख्या-

**स्वीकृत्यादेश**

**(संख्या /2026-27)**

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -13.4.2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा योजना के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुक एवं असहाय के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) वितरण हेतु रू 500.00 लाख (पांच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वितीय वर्ष 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) के अन्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यकम के अधीन राज्य के निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन, असहाय व्यक्तियों को धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बलों (ऊनी) का क्रय कर मुफ्त वितरण इस योजना अन्तर्गत किया जाता है। वितीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के अधीन धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बलों (ऊनी) के वितरण हेतु **कुल रू० 500.00 लाख (पांच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति** निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

**(राशि लाख में)**

| क्र0 | योजना का नाम | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण | 51-2235602000002 | 0002-31.06 | 500.00 |
| | | **कुल रू० (पांच करोड़) मात्र** | | **500.00** |

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. सूती वस्त्रों एवं कम्बलों का क्रय, बिहार वित (संशोधन) नियमावली, 2005 में निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं के आलोक में किया जायेगा। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि जिलों को आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवंटित राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को उपलब्ध कराऐंगे। गरीबी रेखा के अधीन जनसंख्या के अनुपातिक सभी जिलों को स्वीकृत राशि का जिलावार आवंटन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा। जिला पदाधिकारियों द्वारा वस्त्रों का क्रय कर उसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जायेगा एवं वस्त्रों का वितरण करने वाले पदाधिकरियों द्वारा उसकी प्रविष्टि उनके स्टॉक/निर्गत पंजी में की जायेगी। लाभान्वितों की सूची (पता सहित) एक अलग पंजी में संधारित की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं0-3/यो0-32/2018 के टिप्पणी पृ0-37/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-32/2018 के टिप्पणी पृ0-37/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

विश्वासभाजन

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2018 33 पटना-15, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/लेखा-शाखा, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2018 33 पटना-15, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- : 3/यो0-32/2018 33 पटना-15, दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।